# कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 461/2025

## प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 20.12.2025

**डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़** के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 20.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

**01.थाना निजामाबादः फर्जी उप-निरीक्षक बनकर शादी व ठगी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; उप-निरीक्षक की वर्दी, फर्जी आई-कार्ड व नियुक्ति पत्र सहित गिरफ्तारी**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुवन कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी सदर आस्था जायसवाल के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक- 20.12.2025 को थाना निजामाबाद पुलिस द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए *फर्जी उप-निरीक्षक बनकर शादी करने व पुलिस वर्दी पहनकर लोगों से छल करने वाले अभियुक्त* को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **उप-निरीक्षक की वर्दी, फर्जी परिचय पत्र (आई-कार्ड), फर्जी नियुक्ति/ज्वाइनिंग लेटर सहित भारी मात्रा में कूटरचित सामग्री** बरामद हुई है।

***घटना का संक्षिप्त विवरण***

दिनांक **04.09.2025** को वादिनी *श्रीमती काजल यादव* निवासी मिठ्ठनपुर हादीअली थाना निजामाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि अभियुक्त **प्रदीप यादव** द्वारा स्वयं को *पीएसी सिपाही/उप-निरीक्षक* बताकर **दिनांक 16.02.2022** को विवाह किया गया तथा दहेज में लगभग **08 लाख रुपये, सोने के आभूषण व घरेलू सामान** लिया गया। बाद में अभियुक्त व उसके परिजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज व वाहन की मांग कर प्रताड़ना की गई। अभियुक्त द्वारा **UPSI 2023 में चयन** का झांसा देकर मेडिकल के नाम पर **01 लाख रुपये** और लिये गए। जांच में अभियुक्त का पुलिस विभाग से कोई संबंध न होना उजागर हुआ।

उक्त के आधार पर थाना निजामाबाद पर **मु0अ0सं0 307/25 धारा 85, 205, 318(4), 351(3) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट** पंजीकृत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध **NBW** व **धारा 84 BNSS** का अधिपत्र जारी किया गया।

***गिरफ्तारी का विवरण-***

दिनांक **20.12.2025** को सूचना मिली कि अभियुक्त पीड़िता को धमकाने हेतु *पुलिस वर्दी पहनकर* आया है। पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त **प्रदीप यादव पुत्र मोतीलाल यादव निवासी ग्राम मड़ना थाना अहरौला, उम्र लगभग 28 वर्ष** को **समय 10:20 बजे** गिरफ्तार किया गया।

मुकदमे में **धारा 204, 319(2), 338, 336(3), 340(2) बीएनएस** की बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त को माननीय न्यायालय/जेल भेजा गया।

***पूछताछ का विवरण-***

पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्त ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि **अच्छी शादी एवं धन लाभ के लालच** में उसने **कूटरचित तरीके से सिपाही व उप-निरीक्षक के फर्जी परिचय पत्र एवं नियुक्ति पत्र** तैयार कराए।

अभियुक्त ने स्वयं को सिपाही बताते हुए विवाह किया तथा **वर्ष 2023 की दरोगा भर्ती में चयन व मेडिकल परीक्षण** के नाम पर अपने ससुराल पक्ष से **₹01 लाख** प्राप्त किए।

अभियुक्त ने अपनी पत्नी एवं ससुराल पक्ष को गुमराह करते हुए स्वयं को **प्रयागराज के थाना कर्नलगंज में नियुक्त** बताया तथा **उप-निरीक्षक की वर्दी पहनकर लोगों से छल-कपट के माध्यम से धन अर्जित** किया। वह प्रयागराज में **किराए के कमरे में रहकर** उक्त अवैध गतिविधियों के सहारे अपना जीवन-यापन करता रहा।

***बरामदगी (संक्षेप)***

- **02 फर्जी पुलिस परिचय पत्र, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, नेम प्लेट**
- **उप-निरीक्षक की वर्दी/जैकेट/कैप/बेल्ट/जूते**, वर्दी में फोटो
- **आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम/डेबिट कार्ड**
- **मोबाइल फोन (कीपैड व स्मार्टफोन)**
- **नगद ₹1117**, अन्य सामग्री

***गिरफ्तार करने वाली टीम***

1. उ0नि0 कमला प्रसाद व0उ0नि0 सविन्द्र राय थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

# प्रेस–विज्ञप्ति

## दिनांक : 20.12.2025

## थाना : सिधारी, जनपद आजमगढ़

## चोरी का खुलासा: 01 अभियुक्त गिरफ्तार, मोबाइल चार्जर, इयरफोन व ₹800 बरामद

थाना सिधारी पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए **01 नफर अभियुक्त** को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद मोबाइल चार्जर, 01 अदद इयरफोन व चोरी के ₹800** बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी **मु0अ0सं0 531/2025** धारा **331(4)/305 बीएनएस** तथा बढ़ोतरी धारा **317(2)/317(4) बीएनएस** के अंतर्गत की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, **अपर पुलिस अधीक्षक नगर** एवं **क्षेत्राधिकारी नगर** शुभम तोदी के कुशल पर्यवेक्षण तथा **प्रभारी निरीक्षक सिधारी** के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई।

***गिरफ्तारी का विवरण***

दिनांक **20.12.2025** को **उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा** मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **कमिश्नरी कार्यालय के पास** समय करीब **13:00 बजे** अभियुक्त **अभिषेक कुमार गुप्ता उर्फ निरहुआ पुत्र गोपाल प्रसाद गुप्ता**, निवासी ग्राम मुन्डा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब **21 वर्ष** को गिरफ्तार किया गया।

***पूछताछ का विवरण***

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि उसने **दिनांक 13.12.2025** को **अनिल की दुकान (मारुति वर्कशॉप), नरौली** में घुसकर चोरी की थी। चोरी के दौरान कपड़े भी उठाए गए थे जिन्हें बाद में फेंक दिया गया। चोरी का **चार्जर, इयरफोन व ₹800 नगद** उसी के पास से बरामद हुए। अभियुक्त ने गलत संगत व पैसों के लालच में चोरी करने की बात स्वीकार की।

***बरामदगी***

- 01 अदद मोबाइल चार्जर
- 01 अदद इयरफोन
- ₹800 (नगद)

***पंजीकृत अभियोग***

मु0अ0सं0 **531/2025**, धारा **331(4)/305 बीएनएस** व बढ़ोतरी धारा **317(2)/317(4) बीएनएस**, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम***

1. उ0नि0 धर्मेन्द्र शर्मा
2. हे0का0 सुशील यादव
3. का0 चन्द्रेश कुमार
4. का0 अतुल कुमार राजभर
5. का0 कुलदीप सरोज थाना सिधारी आजमगढ़ ।

# प्रेस–नोट
## दिनांक : 20.12.2025
## थाना : जहानागंज, जनपद आजमगढ़
## पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 14 अभियुक्त गिरफ्तार, कानून व्यवस्था भंग करने की कोशिश पर त्वरित पुलिस कार्रवाई

---

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ0 अनिल कुमार** द्वारा वारंटियों व उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, **अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री मधुबन सिंह** के निर्देशन, **क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती आस्था जायसवाल** के पर्यवेक्षण तथा **थाना प्रभारी जहानागंज श्री अतुल कुमार मिश्रा** के नेतृत्व में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए **पंचायत चुनाव को लेकर उत्पन्न विवाद में आमने–सामने आए दो पक्षों के कुल 14 अभियुक्तों** को गिरफ्तार किया गया।

***घटना का संक्षिप्त विवरण***

दिनांक **20.12.2025** को थाना जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बोहना में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर दो पक्ष एक-दूसरे को नीचा दिखाने के उद्देश्य से विवाद में उलझ गए। दोनों पक्षों द्वारा **लाठी–डंडा व रम्मा लेकर एक-दूसरे को ललकारते हुए हाथापाई/मारपीट** शुरू कर दी गई तथा जान से मारने की धमकियां दी गईं। सूचना पर मौके पर पहुँची पुलिस टीम द्वारा तत्काल **बीच–बचाव कर स्थिति को नियंत्रित** किया गया।

शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका को दृष्टिगत रखते हुए थाना जहानागंज पुलिस द्वारा **धारा 170/126/135 बीएनएसएस** के अंतर्गत **कुल 14 व्यक्तियों को कारण गिरफ्तारी** में लेकर **माननीय एसडीएम सदर न्यायालय** भेजा गया।

***गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण***

**प्रथम पक्ष**

---

1. राजदीप सरोज पुत्र फिरतू सरोज (25 वर्ष)
2. बल्लू सरोज पुत्र टिल्ठू सरोज (26 वर्ष)
3. नेहाल सिंह पुत्र राजेश सिंह (29 वर्ष)
4. प्रद्युम्न कुमार पुत्र संजय राम (24 वर्ष)
5. माया देवी पत्नी दीपक सरोज (35 वर्ष)
6. पूजा सरोज पुत्र मोहन सरोज (23 वर्ष)
   निवासीगण ग्राम बोहना, थाना जहानागंज
7. अंकित शर्मा पुत्र संतोष शर्मा (25 वर्ष), निवासी सेमरौल, थाना जहानागंज

---

**द्वितीय पक्ष**

---

1. राकेश सरोज पुत्र स्व0 किशोरी सरोज (42 वर्ष)
2. बहादुर सरोज पुत्र स्व0 बल्ली सरोज (45 वर्ष)
3. राजकुमार पुत्र स्व0 धमड़ी (48 वर्ष)
4. बाला देवी पत्नी राकेश सरोज (40 वर्ष)
5. संतोष उर्फ गोलू सरोज पुत्र राजकुमार (20 वर्ष)
6. घुरवीन सरोज पुत्र स्व0 लक्षन (54 वर्ष)
7. साधू सरोज पुत्र स्व0 लक्षन (50 वर्ष)
   निवासीगण ग्राम बोहना, थाना जहानागंज

---

# प्रेस–विज्ञप्ति
## दिनांक : 19.12.2025
## थाना : रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
## पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाकर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा गंभीर अपराध का त्वरित अनावरण करते हुए **पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाकर अश्लील वीडियो तैयार करने तथा उसे वायरल करने व जान से मारने की धमकी देने वाले 01 नफर अभियुक्त** को गिरफ्तार किया गया है।

***घटना का संक्षिप्त विवरण***

दिनांक **16.12.2025** को थाना रानी की सराय पर एक महिला द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन के माध्यम से **अश्लील वीडियो वायरल करने तथा जान से मारने की धमकी** दी जा रही है।

प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 377/2025** धारा **351(4) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में **धारा 64 बीएनएस एवं 67(ए) आईटी एक्ट** की बढ़ोत्तरी की गई।

***गिरफ्तारी का विवरण***

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन तथा थाना प्रभारी रानी की सराय के नेतृत्व में **उ0नि0 विनोद कुमार यादव** मय पुलिस टीम द्वारा दिनांक **19.12.2025** को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को **ग्राम रुदरी मोड़** से **समय करीब 12:45 बजे** गिरफ्तार किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त***

**जितेन्द्र उर्फ दिवाकर पुत्र देवनाथ**,निवासी बनौरा सुल्तानपुर, थाना दक्षिण टोला, जनपद मऊ।

***पंजीकृत अभियोग***

मु0अ0सं0 **377/2025**, धारा **351(4)/64 बीएनएस** व **67(ए) आईटी एक्ट**, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम***

1. उ0नि0 विनोद कुमार यादव, थाना रानी की सराय
2. हे0का0 सुबाष, थाना रानी की सराय

**जनपद पुलिस महिलाओं की गरिमा एवं सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।** इस प्रकार के अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

# प्रेस–विज्ञप्ति
## दिनांक : 20.12.2025
## थाना : सिधारी, जनपद आजमगढ़
## अवैध तमंचा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, 315 बोर तमंचा बरामद, आर्म्स एक्ट में कार्यवाही

थाना सिधारी पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत **01 अदद अवैध तमंचा (315 बोर)** के साथ **01 नफर अभियुक्त** को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध **धारा 3/25 आर्म्स एक्ट** के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई है।

***गिरफ्तारी/घटना का संक्षिप्त विवरण***

दिनांक **19.12.2025** को **उ0नि0 मुहम्मद जावेद सिद्दीकी** मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर **गेलवारा हाईवे, हनुमान मंदिर जाने वाले मार्ग** से अभियुक्त

**अतुल गोंड पुत्र आत्माराम गोंड**, निवासी ग्राम गेलवारा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब **22 वर्ष** को **समय 17:50 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से **01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर** बरामद हुआ।

***पूछताछ का विवरण***

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया गया कि उसी अवैध तमंचे के साथ उसने वीडियो बनाया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

***बरामदगी***

- 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

***गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास***

1. मु0अ0सं0 **357/2024**, धारा **115(2), 125, 333, 351(2), 352 बीएनएस**, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 **444/2024**, धारा **110, 115(2), 3(5), 351(2), 352 बीएनएस**, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

***पंजीकृत अभियोग***

मु0अ0सं0 **533/25**, धारा **3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।

***गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम***

1. उ0नि0 मुहम्मद जावेद सिद्दीकी
2. उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा
3. हे0का0 शम्भु यादव
4. का0 सिद्धार्थ गौड़
5. का0 कुलदीप सरोज थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।